

**आठवीं अनुसूची**  
**[धारा 145(1) देखिए]**

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/1999-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999]	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “परंतु ऐसा प्रतिदाय, इस अधिसूचना के अधीन निकासी किए गए माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त शुल्क की बाबत उपभोग किए गए केंद्रीय मूल्य-वर्धित कर प्रत्यय की रकम घटाकर संदत्त शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा।”।	8 जुलाई, 1999	5
2.	सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/1999-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999]	उक्त अधिसूचना में दूसरे पैरा के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “परंतु ऐसा प्रतिदाय इस अधिसूचना के अधीन निकासी किए गए माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त अंतःनिवेशों पर संदत्त शुल्क की बाबत उपभोग किए गए केंद्रीय मूल्य-वर्धित कर प्रत्यय की रकम घटाकर संदत्त शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा।”।	8 जुलाई, 1999	10
				15